जवाब दो सरकार बनाम राजस्थान सरकार

सिविल रिट पिटीशन 14228/2019

अवैध कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध आमजन

प्रमुख नगरीय विकास सचिव, जेडीए आयुक्त, नगर निगम आयुक्त व अन्य को नोटिस

कोचिंग सेंटरों में अग्निशमन सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राजधानी में चल रहे कोचिंग सेंटरों में अग्निशमन सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, जयपुर नगर निगम आयुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित 12 पक्षकारों से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट व न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खण्डपीठ ने जवाब दो सरकार संगठन की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा गया कि गुजरात के सूरत में अग्नि हादसा हो चुका है। जयपुर में कोचिंग सेंटरों में आपात समय में बचाव के लिए उपयुक्त इंतजाम नहीं हैं। न ही सरकारी एजेंसियां इस ओर ध्यान दे रही हैं। उधर, हाईकोर्ट की एक अन्य खण्डपीठ जयपुर सहित सभी संभाग मुख्यालयों पर बहुमंजिला इमारतों में अग्निशमन सुविधाओं की जांच के लिए दो बार निर्देश दे चुकी है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश की जानी है।

हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे बुलाया

परकोटे में भवनों का मूल स्वरूप बदलने के मामले में आयुक्त तलब

हाईकोर्ट ने निगम से शपथ पत्र पेश करने को भी कहा

राजधानी के परकोटा क्षेत्र में भवनों का मूल स्वरूप बदलने के मामले में हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम आयुक्त को 27 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट व न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खण्डपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर गुरुवार को यह आदेश दिया। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में भवनों का मूल स्वरूप बदलने के मामले में कार्रवाई के लिए कोर्ट ने नगर निगम से प्लान मांगा था। इसी मामले में नगर निगम आयुक्त को तलब किया गया है। साथ ही, नगर निगम से शपथ पत्र पेश करने को भी कहा गया है।

पत्रिका Fri, 23 August 2019
epaper.patrika.com/c/42783069

बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ कोचिंग सेंटर्स कैसे संचालित हो रहे हैं : हाईकोर्ट

■ अदालत ने मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव, यूडीएच सचिव, डीजीपी, जेडीसी, निगम आयुक्त और राज. कोचिंग एसोसिएशन को नोटिस देकर जवाब मांगा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ चल रहे कोचिंग सेन्टर्स को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव, यूडीएच सचिव, डीजीपी, जेडीसी, निगम आयुक्त और राजस्थान कोचिंग एसोसिएशन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश [illegible] रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह [illegible] ने यह आदेश जवाब दो सरकार [illegible] की ओर से दायर जनहित याचिका पर [illegible] हुए दिए। [illegible] अधिवक्ता नेहा [illegible] ने बताया कि शहर में चले रहे [illegible] सेन्टर्स बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रहे हैं। जिससे यहां अध्ययनरत छात्रों की जान को खतरा बना हुआ है। गत दिनों सूरत में भी आगजनी से 23 छात्रों की मौत हो गई थी।

कोचिंग सेन्टर्स की बिल्डिंग में कोई आपातकालीन निकास नहीं है। इसके अलावा कई कोचिंग सेंटर तो बेसमेंट में चल रहे हैं। इसके अलावा गोपालपुरा, मानसरोवर, विद्याधर नगर और वैशाली नगर सहित अन्य आवासीय क्षेत्रों में इन्हें संचालित किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के प्रावधान भी नहीं हैं। जबकि नियमानुसार 15 मीटर से ऊंची इमारत के लिए फायर एनओसी जरूरी है। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शुक्रवार, 23 अगस्त 2019

अंक –2019/JHY/03

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने

" जवाब दो सरकार"

की जन हित याचिका पर लिया संज्ञान

सरकारी जमीनों/आवासीय परिसरों में बिना नक़्शे अनुमोदित कराये,बिना फायर NOC के चल रहे कोचिंग संस्थानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार,जे.डी.ए.,नगर निगम ,राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन सहित 13 विभागों को नोटिस जारी किये|

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जवाब दो सरकार की जन हित याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी जमीनों/आवासीय परिसरों में बिना नक़्शे अनुमोदित कराये,बिना फायर NOC के चल रहे कोचिंग संस्थानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार,जे.डी.ए.,नगर निगम ,राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन सहित 13 विभागों को नोटिस जारी किये,जिसकी अगली सुनवाई 27 सितम्बर को रखी गयी है|मुख्य न्यायाधीश श्री रविन्द्र भट्ट और जस्टिस श्री इन्द्रजीत सिंह की डबल बेंच ने सूरत हादसे में मारे गए 23 छात्रों की अकाल मृत्यु के बावजूद स्थानीय प्रशासन के नाकाफी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किये|इस याचिका की पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य जैन और नेहा ज्ञामलानी ने पैरवी करते हुए बताया कि जे.डी.ए., नगर निगम सहित अन्य कई विभाग अपनी जिम्मेदारियों की पालना नहीं कर रहे है जिससे सैंकड़ों बच्चों की जान संकट में है|

यह समस्याएँ उठायी सम्बंधित जन हित याचिका में|

- आवासीय भूखंडों में कोचिंग के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियाँ,जो कि भवन विनियमों के विपरीत है|
- अधिकांश बिल्डिंगों के नक़्शे सक्षम स्तर पर अनुमोदित नहीं|
- अधिकांश बिल्डिंगों की लीज मनी और यू.डी. टेक्स जमा नहीं,सरकार को करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि|
- अधिकांश बिल्डिंगों/कोचिंग संस्थानों को नगर निगम द्वारा फायर NOC जारी नहीं|जिन बिल्डिंगों की जारी की गयी उसमे भी सांठ-गाँठ कर नियम विरुद्ध तरीके से फायर NOC प्राप्त की गयी|सांठ गाँठ से जारी की गयी फायर NOC को अवैध कोचिंग सेंटर चलाने का प्रमाण पत्र बना दिया|
- कोचिंग संस्थानों के निर्माण/नियमन के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के मानदंडों की पालना नहीं|

- अधिकांश संस्थानों में आपातकालीन द्वार एवं सीढियाँ नहीं|
- क्लासों के पार्टीशन फाईबर बोर्ड व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने हुए जिससे छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण |
- कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्षमता से अधिक|आपदा के समय धक्कामुक्की,भगदड़ से बड़ी जनहानि की सम्भावना|
- संस्थानों में काम में आने वाले विद्युत उपकरण घटिया क्वालिटी के|
- अधिकांश संस्थानों में लगे अग्निशामक उपकरण बेकार और नाकारा|
- पार्किंग की सुविधा नहीं अधिकांश की पार्किंग सड़क पर,जिससे आपदा के समय घटनास्थल पर अग्निशमन वाहनों का पहुचना मुश्किल|

राजस्थान पत्रिका . जयपुर, मंगलवार, 11 जून, 2019 facebook.com/rajasthanpatrika twitter.com/rpbreaking

कोटा के तलवंडी इलाके की घटना: आधे घंटे बाद पहुंची दमकल, एक घंटे बाद पाया काबू

हॉस्टल में आग, 28 विद्यार्थी फंसे, रेस्क्यू कर निकाला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोटा . शहर के तलवंडी इलाके में सोमवार रात एक हॉस्टल में भीषण आग लग गई। तीन मंजिला हॉस्टल में इस दौरान करीब 28 बच्चे थे। हॉस्टल के एक ही कमरे में पांच विद्यार्थी फंसे हुए थे। घटना की सूचना के आधे घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची। तब तक आग पूरे भूतल में फैल चुकी थी। एक घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों की मदद से हॉस्टल में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

पुलिस के अनुसार रात करीब 10.05 बजे भूतल पर आग लगी। आग लगते ही पूरे हॉस्टल में धुआं हो गया। अचानक हुए हादसे से बच्चे घबरा गए। आसपास के लोग एकत्र हो गए। पुलिस और दमकल को सूचना दी। जिला कलक्टर मुक्तानंद अग्रवाल, एसपी दीपक भार्गव, एडीएम प्रशासन वासुदेव मालावत, एडीएम सिटी आर.डी.मीणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय शर्मा ने मौका मुआयना किया।

उन्होंने हॉस्टल संचालक हिम्मत सिंह हाड़ा से आग लगने के कारणों से जुड़े सवाल पूछे। इसके बाद अधिकारी जवाहर नगर थाना पहुंचे। धुएं की चपेट में आने वाले दो बच्चों को पुलिस एमबीएस अस्पताल ले गई। प्राथमिक उपचार के बाद वापस भेज दिया। जिला प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित की है।

कोटा. रात को आग लगने के बाद हॉस्टल से उठती लपटें।

साड़ी और सीढ़ी के सहारे बच्चों को बचाया

मोहल्ले के लोगों ने बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। पहले बच्चों को यह विश्वास दिलाया कि वे हड़बड़ी में कूद नहीं। इसके बाद सीढ़ी और साड़ी के सहारे बच्चों को पास के मकान की छत पर उतारा।

हॉस्टल में आग लगने के पूरे मामले की जांच की जाएगी। इसमें जो भी लापरवाह होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
मुक्तानंद अग्रवाल, जिला कलक्टर, कोटा

- कर्मचारी आग बुझाने के लिए एवं आपातकालीन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित नहीं|
- सेटबैक के अभाव में,हादसा होने पर दमकल कर्मियों के जाने की जगह नहीं|
- कई कोचिंग बेसमेंट में संचालित है,जो कि प्रचलित संस्थानिक नियमों के अनुसार अनुज्ञेय नहीं |

राजस्थान पत्रिका ,दिनांक 22/08/2019 से आभार

- बिना प्रोजेक्शन के बनी बिल्डिंगों में संचालित कोचिंग संस्थानों में आग लगने पर ताज़ी हवा आने की गुंजाईश नहीं जिससे दम घुटने से जान माल की हानि होने की आशंका अधिक|

राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन के अनैतिक दबाव के कारण सरकार थी दबाव में|

नगर निगम और जे.डी.ए. द्वारा सरकारी जमीनों/आवासीय परिसरों में बिना नक़्शे अनुमोदित कराये,बिना फायर NOC के चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही से हडबडायें कोचिंग संस्थान संचालकों/भवन मालिकों ने आनन फानन से एक कोचिंग संगठन का गठन किया,जिसका संरक्षक राज्य सरकार के परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास को बनाया गया|

जिनके राजनैतिक रसुखातों के चलते राज्य के यू.डी.एच.मंत्री श्री शांति धारिवाल ने जे.डी.ए. के अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं करने का दबाव बनाया,जिससे जे.डी.ए. के अधिकारी बैकफुट पर आ गए और 21/08/2019 को जे.डी.ए. में हुई मीटिंग में कार्यवाही राज्य सरकार के पाले में डालते हुए कोचिंग सस्थानों को राहत दे दी|इसी प्रकार का दबाव नगर निगम के अधिकारियों पर भी बनाया गया,जिसके चलते उनके द्वारा भी बिना फायर NOC चल रहे कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्यवाही को विराम देना पड़ा|

अवैध ईमारतों की तुलना जयपुर के पुराने शहर के साथ साथ विश्व के बड़े शहरों लंदन,पेरिस,न्यूयार्क की बसावट से की|

अपनी दलीलों में एसोसिएशन द्वारा अवैध इमारतों में चल रहे कोचिंग संस्थानों की तुलना पुराने शहर की बसावट से करते हुए,शहर की पुरानी LMB होटल को भी अवैध बता दिया उनके अनुसार विश्व के बड़े शहरों लंदन,पेरिस,न्यूयार्क में भी सेटबैक नहीं है फिर भी वहां पुरानी बिल्डिंगों का संरक्षण किया जाता है|एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कहाँ कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो हजारों बच्चों को अपने भविष्य बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा|एसोसिएशन की नजर में सूरत अग्निकांड मामूली हादसा है जिसकी आड़ में दक्षिण भारत के बड़े कोचिंग संस्थान जयपुर के स्थानीय मीडियाकर्मियों,जन प्रतिनिधियों से लोबिंग करके जयपुर के कोचिंग संस्थानों को बंद करवाना चाहती है|

शिक्षा के साथ अवैध इमारतों में शिक्षा का व्यवसाय करना भी क्या भारतीय नागरिक का संवेधानिक अधिकार है?हम अधिकारों के लिए मुखर और कर्तव्यों के लिए मौन क्यों हो जाते है?

अपनी दलीलों में एसोसिएशन द्वारा बताया गया कि शिक्षा किसी भी भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है और आज की शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग का स्थान अहम है,साथ ही कई नौकरियों के लिए कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसकी तैयारियां बिना कोचिंग के संभव नहीं |शहर के आवासीय मकानों में कोचिंग चला कर वह लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने का सामजिक कार्य कर रहे है|

लेकिन एसोसिएशन के माननीय सदस्य यह बात भूल गए कि जब वह चिल्ला चिल्ला कर हजारों बच्चों के अधिकारों और भविष्य की दुहाई दे रहे है,तो क्या भवन विनियमों की पालना,यातायात नियमों की पालना,अग्निशमन मानकों की पालना करना उनका नैतिक कर्तव्य नहीं है?क्या एसोसिएशन के सदस्य अपने विद्यार्थियों को यह सन्देश और शिक्षा देना चाहते है कि अपने अधिकारों के लिए तो हिंसा तक का सहारा लिया जाये,और यदि जिम्मेदार और जागरूक नागरिक/संगठन उनको उनके कर्तव्यों की याद दिलाये तो उनको ब्लेकमेलर,आदतन शिकायती जैसे अमर्यादित शब्दों से नवाजा जाये?एसोसिएशन के सदस्य यह क्यों नहीं समझ रहे है कि वह आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर,शहर के सुनियोजित विकास और नियोजन में बाधा उत्पन्न कर रहे है|हमारे पूर्वज हमें एक सुनियोजित पुराने एवं ऐतिहासिक जयपुर की विरासत सौंप कर गए है और गर्व की बात है कि उसकी सुनियोजित बसावट के कारण ही यूनिस्को जैसी संस्था ने उसे हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है,लेकिन हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ कर जायेंगे-बेतरतीब पार्किंग,व्यस्त सड़के,रियायशी मकानों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान,मकानों के बाहर लड़ते झगड़ते लोग?

हमारी लडाई अवैध निर्माणों/आवासीय परिसरों/सरकारी जमीनों /बिना स्वीकृत नक्शों के चल रहे,बिना अग्निशमन मानकों की पालना करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ है|विधिपूर्वक कोचिंग संस्थान चलाने वाले संचालकों का हम हमेशा से ही सम्मान करते आये है और आगे भी करते रहेंगे|